chauffeur-driven cars for judges. Now, they have chauffeur-driven cars with a limited quantity of 200 litres of petrol. Then, later on, we gave them two LTCs. They are not using it on working days. We will see that some guidelines are issued to the Chief Justices. Then, we increased their sumptuary allowance. Even now, Sir, I will inform the hon. House that with Constitutional difficulty the Governor was already receiving higher salary than CJI. But I have added so much perks. We have given Rs. 10,000 tax-free sumptuary allowance to the Chief Justice of India. Now, it is Rs. 20,000 as sumptuary allowance. So, it is added to the perks. So, every care has been taken that we should not deny any benefit that is possible within our national wings. So, I am very grateful, Sir, I express gratitude to the Chair as well as to the hon. Members for giving me such vital support for this great institution. Thank you very much. Hands up, the debate goes up.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Now, I put the motion to vote. The question is:

That the Bill further to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958, as passed by Lok Sabha be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 15 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, I move: That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

———

The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2009

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI AJAY MAKEN): Sir, I beg to move:

"That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st day of December, 2009, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, six forms of unauthorised developments are given protection through this Bill. The first one is the slum dwellers and Jhugi Jhonpri clusters, schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions, storages, warehouses and godowns used for agriculture inputs of produce, including diary and poultry in rural areas built on agricultural land, unauthorised colonies, including village *abadi* and its extension, urban villages, in addition to village abadi and its extension, and existing farm houses involving construction beyond permissible building limits.

Sir, I would request the House to pass this Bill.

The question was proposed

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, वैसे तो यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए था, लेकिन आज सुबह जब मंत्री महोदय ने आकर कहा कि यह बिल बहुत जरूरी है और स्टैंडिंग कमेटी में भेजने से इसमें देरी होगी। अगर यह स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, तो लोक सभा की अवधि समाप्त हो जाएगी और शायद यह बिल पास नहीं हो सकेगा। हमारी विपक्ष की उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा, चूंकि यह दिल्ली का बिल है और दिल्ली के लोगों को राहत देने वाला बिल है, इसलिए इसको हम बहस करके पास करेंगे। मैं सर्वदा स्टैंडिंग कमेटी का जब कोई भी मुद्दा आता है, तो उस पर मैं अड़चन लगाता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर इस बिल को लाने के पीछे हम देखें, तो मूल मुद्दा दिल्ली के बारे में है। दिल्ली में जो बाहर से माइग्रेशन होकर लोग आते हैं, जो दिल्ली में माइग्रेंट रहते हैं, उनसे यहां पर जो डेनसिटी ऑफ पापुलेशन है, वह बढ़ रही है, कंजेशन हो रही है। यहां के लोगों के लिए जो सड़के बनीं थीं, वे संकरी हो गई हैं, जो रहने के लिए व्यवस्था थी, वह संकरी हो गई है, जो सेनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम था, वह फेल हो रहा है, इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। जहां रेजिडेंशियल कॉम्पलेक्स थे, रेजिडेंशियल कालौनीज थीं, वे नॉन रेजिडेंशियल परपज़ के लिए यूज़ होती रहीं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी, 2006 को सरकार से पूछा कि आपका दिल्ली के बारे में मास्टर प्लान क्या है? जो दिल्ली दिल वालों के लिए जानी जाती है, जो दिल्ली देश की राजधानी के रूप में जानी जाती है, जो दिल्ली स्वच्छ और हरी-भरी जानी जाती है, वह दिल्ली इतनी ज्यादा कंजस्टिड, इतनी ज्यादा खराब स्थिति में आने लगी है, उसके बारे में आपका मास्टर प्लान क्या है,उसके बारे में बताइये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट आज लागू हैं, जो हमारे यहां पर म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1957 का है, उसमें बीच-बीच में संशोधन होते रहे हैं, किन्तु उसका पुराना आधार पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, 1911 है। आज मास्टर प्लान को बदलने के साथ-साथ उन आधारों को भी बदलने की जरूरत है, जिसकी फाउंडेशन, जिसकी नींव कमजोर पड़ी है। जब यहां पर घनी आबादी नहीं थी, तब उस वक्त दिल्ली कई बार बसी और उजड़ी है। मैं कभी-कभी अपने बचपन के समय के बारे में सोचता हूं, जब मैं दिल्ली में आता था, तो यहां पर साइकिलों की भीड़ थी। साउथ ब्लॉक, नार्थ ब्लॉक और रेल भवन के सामने साइकिलें ही चला करती थीं, गाड़ी नहीं मिलती थीं। उसके बाद यहां पर आना शुरू किया, तो देखा कि यहां स्कूटर और साइकिलें चलती थीं। आज उन स्कूटर और साइकिलों का कहां विलोप गया? अब गाड़ियों की भरमार हो गई और सड़क पर चलना दूभर हो गया है। उसके बाद से जो डेवलेपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके कारण सड़कों के एक पार से दूसरी पार जाना कठिन है, अगर सब-वे न हो, ओवर ब्रिज न हों तो यह कठिन है। महोदय, इसका मूल आधार क्या है? राजधानी में जब-जब सरकारें आईं, तब-तब उन्होंने विकास किया और जब विकास होता है, तो लोग गांव से माइग्रेट होकर शहर की तरफ आते हैं। वहां की रोशनी, वहां की चमक, वहां की आमदनी को देखते हुए, लोग आते हैं। चूंकि वहां पर पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चीजों की सुविधा उपलब्ध होती है, इसलिए आते हैं। जो त्रासदियां हैं, वे आदमी को मजबूर करती हैं कि वह exodus होता है। लोग उस जगह को छोड़कर भागते हैं। जिस तरह कहीं बाढ़

आ जाती है, कहीं सूखा पड़ता है, वहां के लोग भागते हैं और फिर वे ऐसे शहरों पर आश्रित होते हैं। सर, दुर्भाग्य से हमने जो पहले मास्टर प्लान बनाए हुए थे, वे पूरी तरह से परिपक्व नहीं थे, अच्छे नहीं थे जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद, हमने 2021 तक का जो मास्टर प्लान बनाया, वह 2007 में पेश किया गया। महोदय, हमने देखा कि उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इच्छा जाहिर की और जो 2001 का जो सेंसस था, उसमें करीब 33.8 लाख residential houses के एक सेंसस की रिपोर्ट पेश की थी। उसमें करीब 10 लाख, 70-75 हजार ऐसे मकानों को आइडेंटिफाई किया, जिनमें लोग नहीं रहते थे, लेकिन उनको कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाता था। उसको आधार बनाकर कहा गया कि इनको या तो सील कर दो या इनको डिमोलेश कर दो। एमसीडी ने करीब ऐसे 30-35 प्रोपर्टीज को सील कर दिया। इससे पूरी दिल्ली में हा-हाकार मच गया। लोग सड़कों पर आए, आन्दोलन होने लगे, धरने दिए जाने लगे और हर तरह से लोग उसका प्रतिवाद करने लगे। इससे दिल्ली के हर तबके का आदमी प्रभावित हुआ और हर तबके ने हा-हाकार मचाकर गुहार लगाई कि जो उनकी रोजी-रोटी है, जो उनका रोजी-रोटी कमाने का काम है, उसको बहाल किया जाए। हमने इससे पहले भी लोगों को राहत देने के लिए एक बिल पास किया था, लेकिन उससे लोगों को पूरी राहत नहीं मिली। अभी हम इस बिल के माध्यम से जो राहत देने जा रहे हैं, वह राहत retrospective effect से लागू होगी, अर्थात् 1 जनवरी, 2006 से लागू होगी और उस वक्त के *status quo* को पालन किया जाएगा। महोदय, इसी बीच मेरा एक सवाल है कि इस सीलिंग करने के बीच और डिमोलेशन के बीच बहुत से मकान तोड़ दिए गए तथा बहुत सी दुकानें भी तोड़ दी गईं। कुछ को तो तोड़ा गया और कुछ को सील किया गया, जिनको तोड़ा गया, क्या उनको हर्जाना दिया जाएगा? आज जब हम उसको कानून retrospective effect से लागू कर रहे हैं कि नहीं भाई, तोड़ा नहीं जा सकता था। अगर तोड़ा गया है, तो वहां पर वह ठीक रहेगा? क्या जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई करने का कोई प्रावधान होगा? जब हम इसको retrospective effect से लागू करने जा रहे हैं उसमें कहा गया है कि -

"As on the 1st day of January, 2006, in respect of encroachment or unauthorised development" और दूसरा, "In respect of unauthorised colonies, village *abadi* area (including urban villages) and its extension, which existed on the 31st day of March 2002 and where construction took place even beyond that date and up to the 8th day of February, 2007." 2002 तक तो थे ही, 31 मार्च तक और 2007 तक वहां कोई कंस्ट्रक्शन की गई थी। जो अनऑथराइज कॉलोनीज बनी थीं, उनको भी इससे प्रोटेक्शन मिलेगी, पर मैं कहता हूं कि इसी बीच एम.सी.डी. ने जिस तीस हजार प्रॉपर्टीज को ताला लगाया, उन्हें सील किया, अभी भी करीब पांच, छह हजार प्रॉपर्टीज सील्ड हैं, उन्होंने कई प्रॉपर्टीज को धराशायी कर दिया, बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया, जिनकी टी.वी. और अखबारों पर तस्वीरें रोज देखने को मिलीं, क्या उनको मुआवजा देने के बारे में भी कुछ सोचा? जो लोग घरों से बेघर हो गए, उनके बारे में सोचा? आप आज जो प्रावधान लाने जा रहे हैं, यह तो पास्ट में हो गया, परंतु यह कहने से कि जो हो गया, सो गया, भगवान को जो मंजूर था, वह हो गया, अब हम तुम्हें आगे के लिए सुरक्षा दे रहे हैं, वह भी 31 दिसम्बर, 2009 तक देंगे, काम नहीं चलता। 31 दिसम्बर, 2009 तक हम दे रहे हैं, अगर हम पुनः आ गए, तो तुम्हें पुनः स्थापित करेंगे। एक तरह से सुप्रीट कोर्ट की जजमेंट को रोकने के इस बिल के प्रावधान से पूरी शक्ति दी जा रही है। मैं समझता हूं कि इसमें दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलेगी, किंतु यह राहत थोड़ी कुछ और बढ़ाई जाती, अर्थात् मुआवजा दिया जाता या उनके रोजगार का कुछ बंदोबस्त किया जाता, तभी

अच्छा होता। महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन इसीलिए बढ़ता है, क्योंकि रूरल एरिया में अरबन एरिया की फेसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी की बात और उनके विकास के उस स्लोगन को लेकर चलते कि अगर रूरल एरिया में अरबन एरिया के प्रोविजन्स को प्रोवाइड किया जाए, उस अमेनिटीज को प्रोवाइड किया जाए तो माइग्रेशन नहीं होगा अर्थात् स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए वहीं व्यवस्था हो, बिजली की वहीं व्यवस्था हो, सेनिटेशन की वहीं व्यवस्था हो, अच्छी सड़क, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था भी गांव के नजदीक हो, तो शायद कोई दिल्ली देखने नहीं आएगा। दिल्ली में कष्ट भोगते हुए भी ये लोग यहां रहते हैं। आज आप यह जो विधेयक लाए हैं, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। आप इस विधेयक को पास करके दिल्ली के लोगों को अवश्य राहत पहुंचाएं, परंतु आइंदा से ख्याल रखें कि हमें ऐसे प्रावधानों की जरूरत न पड़े, हम सारे भारत को एक अच्छा प्रावधान दे सकें, आपको वैसी व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: यह जो संशोधित कार्यावली है, इसी में एक आधे घंटे की चर्चा मेरे नाम से है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): बैठिए।। will tell you.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: उन्होंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है। Does that stand or not?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): I said that I will give the answer.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, does that stand or not?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): I told him that I will give my ruling.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैं चाहता हूं कि आप अपना डिसीजन दें।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): डिसीजन देंगे, अभी मैंने बोला है कि आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... मैंने बोला है कि आप बैठिए, मैं अपना फैसला दूंगा। आप बैठिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: जब तक आप फैसला देंगे, मैं अपनी बात कह दूं। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): मैंने बोल दिया है। आपको और बोलना है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैं बात केवल इसलिए रख रहा हूं, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। पिछले तीन सत्र से मैं लगातार हाफ एण्ड ऑवर डिसकशन चाह रहा हूं, आज जब यह बिल आया है ...**(व्यवधान)**... Let me complete, Sir.

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): चतुर्वेदी जी, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के लिए पहले आपको रूल बताना है कि कौन से रूल पर है ...**(व्यवधान)**...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: रूल तो कार्यावली में ही है, सूची में लिखा है, मैं कह रहा हूं कि पांच बजे या उससे पहले ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... I will solve the problem. ...*(Interruptions)*... I know the problem. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, in the Order Paper it is written, 'To be taken up at 5.00 p.m. ..'. Now, it is 5.00 p.m.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): This is what I am going to say.

SHRI S.S. AHLUWALIA: It continues, 'or, as soon as the preceding items of Business are disposed of, whichever is earlier.' So, he is seeking an assurance from you that it will be taken up after this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): This is what I am saying. At 5.00 p.m., I will take the consensus of the Members. I have to go by the sense of the House. This is what I wanted to do.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please allow me to do that. ...*(Interruptions)*..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: सर, एक मिनट ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): हो गया, हाउस का sense लेना है। Let me see. Now, I would like to have the sense of the House. I think it is the sense of the House that we will continue with the Bill and take up the Half-an-Hour Discussion later, as suggested by Shri S.S. Ahluwalia.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, 'Later' means just after the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Yes. We will go according to the sense of the House.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: सर, मैं एक बात तो कह दूं। ...**(व्यवधान)**... मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मिनट के लिए आप मेरी बात सुन लें ...**(व्यवधान)**... मेरी बात तो सुन लीजिए ...**(व्यवधान)**... आगे लेने की क्या बात है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): हां, बोलिए।

श्री ललित किशोरी चतुर्वेदी: मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का विषय पहले भी आया था और आते-आते ऐसा हुआ कि Half an Hour Discussion लगाया गया था, समय 5 बजे तय किया गया था और जब बिल के ऊपर डिबेट चलने लगी, तो स्थिति यह आ गई कि उस दिन Half an Hour Discussion नहीं हुआ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Today, we can ....*(Interruptions)*...

SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI: Let me complete, Sir.

उपसभाध्यक्ष उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : हो गया! चतुर्वेदी जी, आप बैठिए, आपने बोल लिया, what is there to say more, आप बैठिए। I have understood your point. What is there to understand more? आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: आप मेरा निवेदन तो सुन लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): हो गया, आपको और क्या बोलना है। मैंने यह कहा कि I leave it to the House. If the House decides now, we will take up now, but if the House decides after the Bill, then, we will take it up after the Bill.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: सर, इसे बीच में क्यों नहीं ले लिया जाए?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Mr. Vice-Chairman, Sir, after this, my Bill is there.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): I have to go by the sense of the House.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसे अभी क्यों न ले लिया जाए?

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Chaturvedi, I have put your point before the House. I am not opposing what you are saying. I am leaving it to the sense of the House. But, the Chief Whip of the Opposition, Shri S.S. Ahluwalia, has suggested that we will continue with the Bill and thereafter we would take up Half-an-Hour Discussion. Okay. Now, go ahead. Shri Jai Prakash Aggarwal.

SHRI SHIVRAJ VISHWANATH PATIL: Sir, there are also other items on the Agenda. Are we going to take up other items also?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): 'Other items" means what? Let me see. After this Bill, there" is the Central Universities Bill, 2009. We have to take up that also.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, today, there is a very big agenda. I believe, if you take up the Central Universities Bill, 2009 also, then, it may not be possible to take up the Jharkhand Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DR. SHAKEEL AHMAD): Why?

श्री एस.एस. अहलुवालिया: कब तक बैठना है? Why बोलने से नहीं होता है न! यहां बंधुआ मजदूर नहीं हैं न! 8 तो इसी में बज जाएंगे।

डा. शकील अहमद: यह तो 5 मिनट में हो जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Now, one more speaker is there; then, this will be over. My only request is that every hon. Member who speaks makes only points. Take only five minutes so that we could finish all the items.

(MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair)

श्री उपसभापति: देखिए, अहलुवालिया जी, यह तय हुआ था, मैं आपको याद दिला रहा हूं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, मुझे याद है।

श्री उपसभापति: आपने कहा कि आज हम पूरा एजेंडा complete करेंगे।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, हम एजेंडा खत्म करेंगे, किन्तु हम 9 बजे के बाद नहीं बैठेंगे न! एजेंडा खत्म करने का मतलब you cannnot bulldoze everything. The Minister says कि 5 मिनट का सवाल है। 5 मिनट में यह कैसे हो सकता है?

श्री उपसभापति: ऐसा नहीं है। Bulldoze भी नहीं करेंगे और business भी खत्म करेंगे।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: झारखंड के ऊपर 4 घंटा allowed है।

श्री उपसभापति: आप पहले इस पर बोलिए न! बाद में देखेंगे कि 4 घंटे लगते हैं या 2 घंटे लगते हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, Business Advisory Committee में उसके लिए 4 घंटा टाइम दिया हुआ है, 2 घंटा बिल का दिया हुआ है, 10 घंटे का टाइम है, आप क्या कह रहे हैं!

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, आप जितना समय लेना चाहते हैं, ले लीजिए, हम बाद में देखेंगे कि हाउस किस तरह से proceed होगा। जय प्रकाश अग्रवाल जी, आप दिल्ली वाले बिल पर बोलिए।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर, दिल्ली के ऊपर आज जो बिल रखा गया है, The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2009, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, मैं सरकार का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जिस जज्बे से यह बिल लाया गया है, उस मकसद में सरकार अवश्य कामयाब होगी। इस पर पहले भी दो बार यहां बहस हुई है और आज फिर हम इस बिल को लेकर आए हैं, ताकि हम दिल्ली वालों को राहत दे सकें। जिस परेशानी से दिल्ली वाले पिछले कुछ समय से गुजरे हैं, पिछला बिल लाकर उन्होंने उनको राहत दी और फिर उसके बाद मास्टर प्लान 2021 लाए। उससे भी बहुत सारे मकान और एस्टेब्लिशमेंट्स थे, उनको राहत दी गई और समय-समय पर इन्होंने और भी कई गाइडलांइस इश्यू कीं, जिनकी वजह से दिल्ली वालों को बहुत मदद मिली। लेकिन अभी भी यह काम पूरा नहीं हुआ है। हमारी दिल्ली का एक अच्छा स्वरूप है और मैं अहलुवालिया जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि दिल्ली को डीकंजस्ट कर दिया जाए। कोई भी शहर अपने लोगों और उनकी कार्यवाहियों से जाना जाता है। हमें दिल्ली को कोई अंडमान-निकोबार नहीं बनाना है, हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन शायद इनके मन में यह होगा। ये यह कहना चाहते हैं कि दिल्ली में लोग आकर न बसें, लेकिन हम यह कहते हैं कि दिल्ली बहुत खूबसूरत नगरी है, बहुत अच्छी नगरी है। हम यहां लोगों को रोजगार और रोटी देते हैं, लोगों ने यहां अपने घर बनाए हैं। हम यह चाहते हैं कि दिल्ली का जो स्वरूप है, वह इसी तरह बना रहे और दिल्ली सारी दुनिया में एक खूबसूरत शहर के नाम से जानी जाए, यही हमारी मंशा है। हम दिल्ली को छोटा नहीं करना चाहते हैं।

दूसरा, अजय माकन साहब, पहले भी आपने यहां से जो कानून पास किया था, उसमें कुछ अड़चनें आईं थीं, क्योंकि नीचे की जो इम्प्लिमेंटिंग एजेंसी है, वह आपकी नहीं है। वहां, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी है। अभी भी अहलुवालिया जी ने आपके सामने यह माना है कि उन्होंने तीस हजार प्रॉपर्टीज तोड़ दीं। वही डर मुझे अब भी है ...**(व्यवधान)**...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: उन्होंने नहीं तोड़ी, आपने तोड़ दीं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: यह मैं नहीं कह रहा, यह अहलुवालिया जी ने ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: श्री अहलुवालिया जी ने सब कुछ कह दिया है, अब उनको भी तो कुछ कहने दीजिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, पहले भी यही हुआ था, आपने यहां से कानून पास किया और दिल्ली नगर निगम ने उस कानून को मानने से मना कर दिया एवं लोगों को तंग किया। बहुत सारे लोग मार्किट्स में यह देखने के लिए गए कि अच्छा, हम तुम्हारी दुकान खुलवा देते हैं, हम तुम्हारा मकान खुलवा देते हैं, तुम्हारे मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आप उन लोगों को कैसे रोकेंगे? आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं? जब उन्होंने पहले यह किया, जिनके

दिल में न तो दिल्ली वालों के लिए समर्थन है, न वे दिल्ली वालों को अच्छा मानते हैं और न ही दिल्ली वालों के साथ उनके दिल मिले हुए हैं। इसलिए साहब, मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि जब आप जवाब दें, तो यह जरूर बताएं कि एक ऐसी बॉडी जहां पर वे लोग बैठे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): वह जनता के सर्मथन से आई है, भई। आप ऐसा किस तरह से कह रहे हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मैं उन्हीं की कारगुजारी बता रहा हूं, माफ करना, अभी आपको मालूम नहीं है। आपके जो नेशनल प्रेजिडेंट हैं, उन्होंने कॉर्पोरेशन के चुनाव से पहले ही कहा था कि अगर हम आए गए तो बुलडोजर का मुंह फेर देंगे और एक दुकान भी सील नहीं होगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अब भी हम यही कहते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, आज चतुर्वेदी साहब ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अब आप जयपुर से दिल्ली आ गए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: एक साल नहीं, हमने उनको निश्चित रूप से एमनेस्टी भी दी है।

श्री उपसभापति: अच्छी बात है, अब आप बैठिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: आपके करम किसी से छुपेंगे नहीं। जो कुछ हुआ है, दिल्ली वालों ने स्वयं देखा है। उसी का नतीजा है कि 2008 के चुनावों में दिल्ली में हम जीत कर आए हैं और दिल्ली की असैम्बली में हमारी मुख्य मंत्री हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: अग्रवाल जी, यह आपके शब्द नहीं हो सकते ...**(व्यवधान)**... माफ करिए, यह आपका स्तर नहीं है ...**(व्यवधान)**...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: जरा दिल पर हाथ रख कर सब्र तो रखें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह शब्द आपके नहीं हो सकते। क्षमा करें, आपका यह स्तर नहीं है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: नहीं, नहीं आप ...**(व्यवधान)**...

माननीय सदस्य: अहलुवालिया जी ने कहा है कि हम टीवी पर देखते रहे हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: जय प्रकाश जी, एक मिनट। इस बिल के समर्थन पर मैंने शुरूआत की। कहने को तिक्तता मैं भी बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने राजनीति से ऊपर उठ कर अपनी बात रखी। अगर आप नींबू को ...**(व्यवधान)**... सुनिए, सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए ...**(व्यवधान)**...।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: माफ करना, मैं आपको कोई गाली नहीं दे रहा हूं ...**(व्यवधान)**... नहीं, नहीं, अहलुवालिया जी, आप मेरी बात सुन लीजिए ...**(व्यवधान)**...।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: नींबू को ज्यादा चटकाओ मत, नहीं तो कहीं तीतापन सामने न आ जाए। इसीलिए आप बिल पर बोलिए, मंशा पर ज्यादा बात मत कीजिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: नहीं, नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो कुछ हुआ है, मैं तो वही बयान कर रहा हूं। मैं कोई आपको गाली नहीं दे रहा हूं। आगे क्या होने वाला है, मुझे तो उसी बात का डर है।

श्री उपसभापति: अग्रवाल जी, अब आप बिल पर आइए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: आप एक कमेटी बना दें। अब जो मानीटरिंग कमेटी दिल्ली में है, उस मॉनीटरिंग कमेटी का क्या इस्तेमाल हुआ? आप यह देखें कि आज भी जो कायदे-कानून आपने दिल्ली वालों के लिए बनाए, जो भी बिल पास किए, वह मॉनीटरिंग कमेटी आज किसकी बात मान रही है? कई जगह ऐसे हैं, जहां उन्होंने कहा कि आप इनकी प्रोपर्टी सील कर दो और तोड़ दो। वह अख्तियार मॉनीटरिंग कमेटी को नहीं था। आज जो सबसे ज्यादा परेशानी हमें महसूस हो रही है वह इसी वजह से हो रही है। उसी मॉनीटरिंग कमेटी को माध्यम बना कर दिल्ली नगर निगम इस्तेमाल करती है और प्रोपर्टीज को सील करती है। सर, माफ कीजिएगा, अगर आप इसे यहां से पास करके भेज भी देंगे फिर भी जब तक आप कोई ऐसा प्रावधान नहीं करेंगे जिससे कि यह कानून नीचे के लोगों तक फायदा पहुंचाए, तो हमारे यहां पास करने से कोई फायदा नहीं होगा, यह मैं कहना चाहता हूं। मैं किसी को गाली देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मुझे भी मालूम है, अहलुवालिया जी, कि आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन चीजों का डर है कि नीचे तक फायदा पहुंचाने के लिए जो काम हम कर रहे हैं, वह फायदा वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। आप इसे गलत न लें। आप अच्छे इंसान हैं। मैं इसलिए थोड़े ही कह रहा हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: जय प्रकाश जी, हम लोग भी अच्छे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मैंने जो अपनी बात कही कि मंत्रालय से कानून आप पास कर रहे हैं और दिल्ली नगर निगम यह कह रहा है कि गैर-रिहायशी क्षेत्रों में हमने तोहफा दे दिया। कानून आप बना रहे हैं, इम्प्लिमेंटिंग अथॉरिटी वह हैं, उस पर राहत आप दे रहे हैं और वह कह रहे हैं कि हमने पास कर दिया। यह अखबार में आया है। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। लोगों के घर बस जाएं, इसमें हमें क्या राजनीति करनी ह!ै लोगों की दुकाने खुल जाएं, यही तो हम चाहते हैं। हमारी दिल्ली अच्छी रहे। हम कानून ला रहे हैं कि जिनका मकान बना हुआ है, बना रहे। यह खूबसूरत दिल्ली इसी तरह बसे। आपने चांदनी चौक को राहत दी, आपने करोल बाग को राहत दी। इसके अलावा जो 21 आइटम्स हैं, उनकी छोटी-छोटी दुकानों को भी आपने राहत दी। हमें यही काम तो करने हैं, इसीलिए तो हम पार्लियामेंट में बैठे हैं। लेकिन, हम आपके सामने उन चीजों को अगर खौफ नहीं बताएंगे तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं। उसके साथ-साथ मैं यह चाहता था कि आपकी कोई implementing authority जरूर होनी चाहिए। मुझे मॉनीटरिंग कमेटी से बहुत खतरा लगता है। लोगों को उससे बहुत नुकसान हुआ है। मैं यह चाहता हूं कि आप चार-पांच आदमियों की ऐसी कमेटी बना दें जिससे कोई भी काम, जिसमें आप कानून पास करा के उनको राहत दे रहे हैं, उनमें उनको नुकसान न हो या आपके कानून के खिलाफ किसी की दुकान न सील हो जाए या किसी का मकान न टूट जाए। मैं अभी आपको उसका एग्जाम्पिल दूंगा। मेरे पास कई ऐसे एग्जाम्पिल्स हैं। आपको भी लगेगा कि हां, उसमें नुकसान हुआ है। जैसे -(1) As per the Supreme Court order, all shops and establishments, which existed prior to 1962 were exempted from sealing, but the Monitoring Committee is sealing those shops. इस बात को मैंने आपके सामने भी रखा था। (2) Negative trades, which have to be given alternative site as per Master Plan-2021, are also being sealed by MCD before allotting alternative sites to them. (3) Shops existing in special areas - which have been given immunity till 2010, as, by 2021 they were to be re-developed - are also being sealed. ऐसा पटेल नगर में हुआ है। (4) Shops in plots allotted under the Twenty-Point Programme have been

sealed in *village abaadi*. (5) Small shops of maximum 20 square meter, dealing in 24 categories, allowed on ground floors in resdential premises, जिनमें vegetables हैं, fruits हैं, bakery items हैं, किराना, general stores, dairy products या आटा-चक्की हैं - which have been allowed by 2021 Master Plan and the Supreme Court - have also been sealed. ये पांच आइटम्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इसको आपको पास करने के बावजूद भी, मास्टर प्लान में होने के बावजूद भी उनको सील किया जा रहा है और उन लोगों को ह्रासमेंट हो रही है। मैं आपसे मांग करता हूं कि या तो आप दिल्ली नगर निगम को कोई डायरेक्टिव दें या मॉनीटरिंग कमेटी को कोई डायरेक्टिव दें कि वह कोई ऐसा ऑर्डर पास न करें ताकि आपने उनको जो राहत दी है, उसके खिलाफ वह जाता हो तथा उससे लोग तंग हों।

सर, अब मैं इसके अलावा भी कुछ और चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे झुग्गी-झोपड़ियों और पटरी वालों को राहत देने के लिए आप लाए हैं और इसके मुताबिक एक भी झुग्गी-झोंपड़ी वहां से नहीं हटनी चाहिए। उसके बावजूद उन पटरी वालों को और झुग्गी-झोंपड़ी वालों को जबरदस्ती पुलिस के डंडे के बल पर हटाया जाता है, उनके साथ जबरदस्ती की जाती है तथा कोई अल्टरनेटिव साइट भी उनको नहीं दी जाती। जब आपने आज की तारीख में उनको राहत दी है तो वह राहत उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए और उनको कोई डिस्टर्ब न करे। इसी के साथ-साथ आपने अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स दिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब आप जवाब दें तो उसमें यह बता दें कि आप उनको सर्टिफिकेट कब दे रहे हैं, ताकि वे कॉलोनीज पूरी तरह से रेगुलराइज्ड हो जाएं और उनके अन्दर पूरा डेवलपमेंट का पैसा लगे। बिजली, पानी, सड़कें, सीवर उनको मिले, उनको राहत मिले। इसके साथ-साथ अगर वे अपनी प्रोपर्टी की खरीद वे बेच करना चाहते हैं, तो उसकी भी उनको पूरी इजाजत मिलनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं होनी चाहिए।

महोदय, यहां फार्म-हाऊसेज के बारे में आपने कहा गया है। मंत्री जी, लोगों ने जो फार्म-हाऊसेस बना लिये हैं, उनमें कुछ नक्शे से बने हैं, कुछ नक्शे के अलावा भी, जिसमें पैमाइश के हिसाब से उसका एफएआर ज्यादा है, आप उनको भी राहत दे रहे हैं, लेकिन जिनके यहां कुछ भी नहीं बना हुआ है, उनको वे सील कर रहे हैं। उनको कहा जाता है कि अगर आप यहां कोई शादी या ब्याह कराएंगे, तो इसको कॉमर्शियल मान कर सील कर दिया जाएगा। जब आपने और जगह एलाउ किया है, तो उनको भी एलाउ करना चाहिए। जिनका नक्शा पास नहीं है, जिनका कुछ बना हुआ नहीं है, वे कहां से किसी भी अथॉरिटी को सेक्शंड प्लान लाकर देंगे? आज यह भी एक सबसे बड़ी समस्या है। वैसे भी दिल्ली में इतने कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं, आप देखिए अभी भी बहुत परेशानी होती है, पिछली बार भी मैंने आपके सामने यह बात रखी थी। मैं आशा करता हूं कि इस बारे में भी आप अपना जवाब जरूर देंगे।

महोदय, यह एक अपार्टमेंट्स एक्ट बहुत दिनों से आपकी मिनिस्ट्री में पेंडिंग पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, जो दिल्ली में इन अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो उनका ग्राउंड रेंट है, या लीज मनी है, उसको देने में सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होती है। आपका डिपार्टमेंट कहता है कि आपका जो बिल्डर है, उसके पास जाओ और बिल्डर उसे मानने को तैयार नहीं है। मैं आशा करता हूं कि वह जो एक्ट है, उसे आप जल्दी से जल्दी लाएंगे और उसे लागू कराएंगे।

महोदय, इसके बाद जो फ्लैट्स हैं, जिनको रेगुलराइज कराने की बात है। बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के जब परिवार बढ़ते हैं, उनके बच्चे बड़े होते हैं, तो कोई एक छोटी सी वाल बना लेते हैं, या ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो उन पर केस बनते हैं, आज सैंकड़ों हजारों केस कोर्ट में चल रहे हैं। मैं आशा

करता हूं कि जब आप 1500 कॉलोनियां रेगुलराइज कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो जो अपार्टमेंट्स हैं, छोटे-छोटे फ्लैट्स में लोग रहते हैं, उनको भी किसी माध्यम से, इस बिल के माध्यम से, या कोई पॉलिसी ऐसी बनाएं, जिससे उनको भी कुछ राहत मिले, उनको भी फायदा पहुंचे। आज बहुत सी ऐसी जगह हैं, जिनकी लीज खत्म हो गई है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको यमुना पार का, झील-कुरंजा का देना चाहता हूं और दूसरी एक और जगह है। अब अगर इनकी लीज खत्म हो गई है, जिसको आज एक साल से ज्यादा हो गया है, उसको आप या तो फ्रीहोल्ड कर दें या रिनिड कर दें, क्योंकि उनके पास वह पिछले 100 साल से है, जो 99 साल की लीज पर था। आपके डिपार्टमेंट के पास इसके लिए कोई न कोई सिस्टम होना चाहिए, ताकि बार-बार किसी को आपके पास न आना पड़ा। अगर किसी का लीज पीरिएड खत्म हो रहा है, तो आपके डिपार्टमेंट को मालूम होगा कि कब कौन सी लीज खत्म होने वाली है, उसके लिए आप क्या पॉलिसी होनी चाहिए। इसलिए आप इस बारे में पॉलिसी बनाकर लोगों को राहत दें, सहूलियत दें। जहां तक बेसमेंट का है, कई जगह मॉनीटरिंग कमेटी ने बेसमेंट सील करा दिए, लोग उससे परेशान हैं? बेसमेंट का क्या यूज हो सकता है? आप बेसमेंट तो बंद कर नहीं सकते, या आप उस बिल्डिंग को तो तोड़ नहीं सकते कि आपने बेसमेंट हटाना है और इसीलिए बिल्डिंग गिरा दो। तो आप उसे किसी न किसी काम के लिए एलाउ कराएं और उनको कहें कि उनकी सील खोलें।

महोदय, जब आप सारी दिल्ली को राहत दे रहे हैं, हमारे एम.पीज. के फ्लैट्स में, बंगलों में अगर कोई पार्किंग के लिए या धूप के लिए भी शेड डालता है, तो उसके लिए भी आपका सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आकर कहता है कि साहब, हम तो इसे तोड़ देंगे। अनथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन की क्या डेफिनेशन है? किसे आप अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन कहते हैं? उस बंगले के अंदर दूसरा कोई बंगला तो बनाएगा नहीं। माफ करना, साहब जो एकमडेशन आप मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को टाइप फाइव देते हैं, वह रहने लायक एकमडेशन नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोग वहां रहते हैं। अगर आप किसी को एक बैड-रूम का फ्लैट दे रहे हैं, तो कौन सी बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं? आज आप जिस मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट से उम्मीद करते हैं कि वह यहां खड़े होकर बढ़िया तरीके से लोगों के लिए बहस करेगा, कानून बनाएगा, कम से कम उसे रहने की जगह तो अच्छी से अच्छी देनी चाहिए। चाहे आपका यह साऊथ एवेन्यू हो या नॉर्थ एवेन्यू हो, आप इसको रिडवलप कराइए। अभी राजनीति प्रसाद जी चले गए, जिस समय मैंने उनको साऊथ एवेन्यू में फ्लैट दिया था, तो वह कहने लगे कि मुझे अपने परिवार के साथ उस फ्लैट में जाने में शर्म आई कि मैं दिल्ली में आकर एम.पी. हूं और इस फ्लैट में रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप कोई न कोई ऐसा तरीका निकालेंगे, जिससे मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को राहत मिलेगी। हमारे कई Members of Parliament हैं, जिनको कोर्ट से नोटिस भेज दी जाती है कि साहब, इन्होंने unauthorised construction कर रखी है। Unauthorised construction की defination एक temporary shed है, जिसे वे कहते हैं कि वह unauthorised construction है। आप नये मकान बनाने के लिए जमीन दें ताकि Members of Parliament के लिए अलग से टाइप - V, VI और VII के अपार्टमेंट्स बनें। आप अच्छी पॉलिसी बनाइए। अगर आप कुछ कर के जाएंगे तो आपको बाद में भी लोग याद करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो जो आगे करेगा, उसको याद करेंगे। ...**(व्यवधान)**... मैं आशा करता हूं कि यह बिल जो आप लाये हैं, यह बहुत अच्छा साबित होगा। इससे दिल्ली वालों को बहुत राहत मिलेगी। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि यह अब आ गई है, हमारा भला करेगी, तब और किसी से उम्मीद नहीं होती। आपने पिछले दो-तीन सालों में दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ किया है और आज एक समय है जब आपने उनके दिलों को छूने की कोशिश की है। लोग तड़पे हैं, आंसुओं से रोये हैं, यह हमारी वजह से नहीं बल्कि कोर्ट की

वजह से हुआ है। आपने बड़े अच्छे कदम उठाये हैं और आज वक्त है कि हम उनकी और मदद करें। मैं पुरजोर तरीके से इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (WEST BENGAL): Sir, the situation of Delhi, which resulted in the enactment of this Bill, was very grave. In the present scenario, we have no option but to support the Bill. But, Sir, I would like to tell that this is the problem of all the major metropolitan cities. Look at the situation of Mumbai. We had our situation even in Kolkata also. The question is how to stop continuous influx of rural population to the urban areas in the present economic scenario, political and socio-economic factors. Otherwise, in every metropolitan city, this will happen, particularly in the present international economic situation when the people are coming back from other countries. And, the problem of urban areas cannot be fought in isolation. It has relation with the problems of rural areas and we have to see how to stop this continuous influx from rural areas. It is not that one hospital is built, or good roads are built in rural areas; that should be done. But, Sir, the main thrust has to be given on land reforms, providing the land to the tiller to improve the rural economy. What steps will you take, what steps will the country take in this direction? If you do not find an answer from this point of view, the problem of this continuous influx cannot be dealt with. We know in 1969 to 1975, in West Bengal, how we faced this situation. Here, in Delhi, if you want to solve this problem, we have to think as to how we see the position in UP., in Rajasthan, or in M.P. What is our answer? Farmers of Rajasthan wanted water, and instead of getting water, they received bullets. If this is our answer to this question, then, you cannot stop this problem. That is the major issue, to which we have to find an answer. Have we fought for the land to the tillers? Have we really fought for the land reforms? Sir, we know that many of us here come from very wealthy families, from landlord background. These are the real questions. You cannot ignore this question. But, so far as this Master Plan of Delhi is concerned, there are serious violations. I attended the PAC meeting. The commercial complexes have been built up in the residential areas. Schools and colleges have been built up in the residential areas and the conditions have been violated continuously. So, these things will have to be administratively looked into.

Sir, while saying that we have no objection to this, I would also say that to deal with these problems, the Government should look into the problems of the small business houses, housing for the poor. If the BPL families do not get housing free of cost, where will they stay. Definitely, they will stay in the *jhompris*. These are some of the questions.

With these few words, I again say that we have no option but to support this Bill. I demand the Ministry that they should be brought to protect the Master Plan. On the one hand, you continue to see the violation of the Master Plan, and, on the other, you come to make these provisions. These things will not work. Thank you.

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले आपने जो मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं।

मैं माननीय मंत्री, श्री अजय माकन जी और हमारे बड़े अच्छे मित्र और वरिष्ठ नेता, श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी के सामने एक सांसद के रूप में, एक कानून के जानकार के रूप में कुछ गंभीर समस्याओं को रखना चाहता हूं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक्ट आप तीसरी बार ला रहे हैं। पहली बार आप ordinance लाए, उसके बाद आप दिसम्बर, 2007 में एक्ट लाए, जो दिसम्बर, 2008 में expire हो गया और अब आप यह नया एक्ट लाए हैं। इसकी धारा 3 में आपने यह प्रावधान किया है कि आप झुग्गी-झोंपड़ी और unauthorised colonies, इन सबके समाधान के लिए एक पॉलिसी लेकर आएंगे। मैं उसे पढ़ने की जरूरत नहीं समझता, यह उसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार की शब्दावली 2007 में थी, आज हम लोग 2009 में हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपने धारा 3 के उपबंधों के अंतर्गत जो policy initative लेने थे to regulate unauthorised colonies, encroachment of slum dwellers, jhuggi-jhopries, street venders, उस दिशा में आपने क्या कार्रवाई की? माननीय जय प्रकाश जी, क्षमा कीजिए, यह Central Government को करना है, जहां आपकी सरकार है, इसलिए पहला सवाल यही उठता है कि पिछले ढाई साल में केन्द्र सरकार ने इस दिशा में क्या कार्रवाई की है और इस धारा 3 के प्रावधान शब्दशः वही हैं, जो 2007 के, 2008 के ordinance में थे, यह मुझे पहली बात कहनी है।

माननीय उपसभापति जी, आपको पता है कि दिल्ली में चार प्रकार की agencies काम करती हैं - DDA, MCD, NDMC & National Capital Territory Region और ये चारों अपने प्रकार से काम करती हैं। इन चारों में समन्वय हो, काम ठीक-ठीक हो, यह बहुत जरूरी है और यह काम ठीक नहीं होता है, जिससे समस्या पैदा होती है। माननीय जय प्रकाश जी, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। आपने Monitoring Committee की बात की, यह Monitoring Committee कहां से पैदा हुई, यह जानना भी बहुत जरूरी है। उपसभापति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह Monitoring Committee बनाई थी, Court Commissioner बनाए और Supreme Court ने Monitoring Committee बनाई थी। अब ये बड़े सवाल हैं, उपसभापति जी, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, we have the highest respect for them, लेकिन Monitoring Committee अगर इसलिए बनाई जाती है कि MCD ठीक काम नहीं करती है, DDA ठीक काम नहीं करती है, तो इसकी सीमा क्या होगी? अगर कोई संस्था ठीक काम नहीं करेगी, तो क्या कोर्ट के निर्देश से Monitoring Committee बनेगी? ये बड़े सवाल हैं, जिन पर कभी चर्चा होनी चाहिए। अगर AIIMS के डायरेक्टर और मंत्री में नहीं पटती है तो क्या वहां पर हम कहेंगे कि Monitoring Committee बनेगी? अगर जहाज समय पर नहीं उड़ते हैं तो क्या Monitoring Committee बनेगी? क्षमा करिए, सर, जिस प्रकार से देश की polity को एक साथ होकर response करना चाहिए था, वह responce नहीं था। सर, मैं एक वकील भी हूं और मैंने देश के कानून मंत्री के रूप में भी दायित्व निभाया है और न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान रखने के साथ मैं यह उचित नहीं मानता हूं कि यदि कोई संस्था ठीक काम नहीं कर रही है, तो Monitoring Committee बना दो, हम Monitor करेंगे। Sorry, this is not the jurisdiction of the court. क्षमा कीजिए, एमसीडी ने ही Monitoring Committee के खिलाफ हाई कोर्ट में आवेदन दायर किया और वह Monitoring Committee हटी। जयप्रकाश जी, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: आज भी Monitoring Committee exist करती है, वह हटी नहीं है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: वह सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, हाई कोर्ट की हट गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस बड़े सवालों पर देश की polity को एक साथ बोलने की जरूरत है। मैं यह बहुत स्वस्थ नहीं मानता हूं, चूंकि मैं न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं, कि कहीं काम ठीक नहीं हो रहा है, तो हम Monitoring Committee बनाएंगे। इससे Separation of Power का Principle violate होता है। मैं बताना चाहता हूं कि Sepration of Power is a basic structure of Indian Constitution.

महोदय, मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो-तीन सवाल और करने हैं। समय के अनुसार कानून को बदलना पड़ता है। इसको नहीं बदलने से unauthorised construction हो जाता है और unauthorised construction होने से सीलिंग की नौबत आती है। कोर्ट कहता है कि unauthorised construction की सीलिंग करो। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज आप के कानून में है कि plot का सबडिवीजन नहीं कर सकते हैं। जय प्रकाश जी, अगर कोई पिता है और उसने एक मकान बनाया। उसके चार बेटे हुए और मकान अगर original एक plot मानकर sanction है, तो वह उसको अपने बेटों के लिए sub-divide नहीं कर सकता है? आपके मास्टर प्लान में इस तरह के प्रावधान की मनाही है। कानून में इसकी मनाही है। आज यह कानून है कि अगर आपने मकान बनाया और आपकी खिड़की दो फीट-बांए-दांए हो गई, तो वह unauthorised construction हो गया। उसमें bye-laws में amendment करने की जरूरत है, यह आपके यहां गया है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो मास्टर प्लान बनाया गया है, उसमें unauthorised colony, regularise colony, urban village, rural village के लिए एक स्पेशल regulation बनाने की बात कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि वह regulation तीन साल में आ जाएगा। अभी तक दो साल खत्म हो गए और एक साल बचा है। अभी तक आपने उसे नहीं बनाया। अब अगर आप नहीं बनाएगें तो कोर्ट कहेगा कि सीलिंग करो। यह जो practical difficulty है, माननीय मंत्री जी, मैं negligence शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं जय प्रकाश जी से कहना चाहूंगा कि वह शब्द मेरे नहीं हैं और आपके भी शब्द वह नहीं थे, यह मुझे मालूम है, शायद इस दिशा में समय पर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है।

माननीय उपसभापति जी, अब आपने एक नया मास्टर प्लान बनाया है। दिल्ली फैल रही है। यह एमपीडी-2021 है। अब यह सवाल उठेगा कि आपने दिल्ली को इतना विस्तृत कर दिया है, तो क्या आपके पास इसके लिए resources हैं? यहां पर कार पार्किंग की जरूरत होगी, वाटर सप्लाई की जरूरत होगी और बाकी resources की जरूरत होगी, तो उस दिशा में आपने क्या सोचा है? हम उसमें कई बार amendment करते हैं। Amendment करके relaxation देते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। अब आपने इतनी colonies को regularised किया, उसकी कार्रवाई चल रही है। कितना हुआ या नहीं हुआ, मैं उसमें नहीं जाता हूं। अगर आप कानून को उसके अनुसार उचित समाधान नहीं देंगे, तो समस्या पैदा होगी। कोर्ट कहेगा कि यह unauthorised है। यह कानून के अनुसार नहीं है। ये जो practical problems हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे पहला आग्रह करना चाहूंगा कि धारा तीन में आपने जिस बात का उल्लेख किया है, माननीय उपसभापति जी, मुझे एक बार उसको पढ़ने दीजिए, यह बहुत जरूरी है। It should become a part of the proceedings of this House. मैं इसकी धारा तीन को पढ़ता हूं, Notwithstanding anything contained in any relevant law or any rules, regulation or bye-laws made there under, the Central Government shall before the expiry of this Act, take all possible

measures to finalise norms, policy guidelines, feasible strategies and make orderly arrangements to deal with the problem of encroachment or unauthorised development in the form of encroachment by slum dwellers and *jhuggi-jhompri* clusters, hawkers and urban street vendors... यही शब्द 2007 से चल रहे हैं। अगर आपको इस दिशा में कार्रवाई करनी है, तो इस दिशा में सार्थक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सार्थक कार्रवाई नहीं होने के कारण आपको बार-बार यह कानून क्यों लाना पड़ रहा है? माननीय मंत्री जी, आप एक अनुभवी सांसद भी हैं और आप जानते हैं कि अगर कानून समय के अनुसार समाधान करता हुआ बनेगा, तो कोर्ट के intervention की संभावना भी कम होगी। क्योंकि अभी क्या है, जैसा मैंने बताया, अगर आपने plot को sub-divide कर लिया, तो बस आप unauthorised हो गए। महोदय, मुझे आपके सामने एक दूसरा विषय प्रस्तुत करता है। जब आप organised दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में flats बनते हैं, दिल्ली में रियल स्टेट्स आ रहे हैं। छोटे-छोटे, मध्यम वर्ग के गरीब लोग उन flats में पूंजी निवेश करते हैं। यह आप भी जानते हैं। उसके बाद वे flats और वह multistorey building unauthorised हो गई। क्योंकि norms को follow नहीं किया गया, FAR को follow नहीं किया गया, उसके कारण जिन लोगों ने अपने जीवन-भर की कमाई से पूंजी निवेश किया कि हम फ्लैट खरीदें, उनको परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस विषय में और अधिक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है - डी.डी.ए., जो आपकी एजेंसी है और एम.सी.डी., जो अलग एजेंसी है, ये सब अगर... और माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जो बड़ी बात कहना चाहता हूं, वह यह कि समय के अनुसार अगर building bye-laws में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उसको करने से आप हिचकते क्यों हैं? अगर आप यह नहीं करेंगे, तो यह जो आप ad-hoc में लाते रहते हैं, उससे परेशानी होगी।

माननीय उपसभापति जी, एक अंतिम बात मुझे जो कहनी है, वह यह है कि नए मास्टर प्लान के लिए जितने भी resources की आवश्यकता होगी, उस दिशा में भारत सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है, ताकि वह मास्टर प्लान effectively implement हो, अगर मंत्री जी इस बारे में भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो बड़ी कृपा होगी। उपसभापति जी, इस विषय पर मैं बहुत बोल सकता हूं, लेकिन एक मलहम है, जो दिल्ली के दर्द के लिए जरूरी है। यह मलहम स्थायी नहीं बनना चाहिए, इसका स्थायी समाधान निकालेंगे, यही आग्रह करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री अजय माकन : माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस बिल का न केवल समर्थन ही किया, बल्कि बहुत ही बहुमूल्य सुझाव भी हम लोगों के बीच में रखे हैं। मैं अपनी बात की शुरूआत एक myth को clear करने की कोशिश के साथ करूंगा। अक्सर दिल्ली के बारे में यह कहा जाता है या सोचा जाता है कि दिल्ली के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो population density दिल्ली में लगातार बढ़ रही है, वह ग्रामीण इलाकों से और हिंदुस्तान के अलग-अलग इलाकों में आने वाले लोगों की वजह से ही बढ़ रही है और वे सब के सब लोग शायद बोझ हैं दिल्ली के infrastructure के ऊपर, दिल्ली की water supply, parking और दूसरी सब चीजों के ऊपर, तो सबसे पहले मैं आंकड़ों के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि यह शायद अपने आप में सत्य नहीं है। यह एक myth है, जिसको साफ करने की जरूरत है। सन् 2001 के census के अनुसार दिल्ली की जो total population है, decadal growth जो दस वर्षों के अंदर हुई थी, उसके अंदर मात्र 39 परसेंट migratory population की वजह से हुई थी, उस पॉपुलेशन की 61 परसेंट ग्रोथ दिल्ली के अंदर अपने खुद के रहने वाले लोगों की वजह से हुई थी। तो जब हम कहते हैं कि बाहर से लोग आते हैं, सिर्फ उसकी वजह से

दिल्ली की population density बढ़ती है और उसकी वजह से प्रैशर पड़ता है, मेरे ख्याल से बार-बार अलग-अलग स्पीकर्स ने बोला, तो इस वजह से मैं यहां पर record में यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली पर बोझ बाहर के लोगों से ज्यादा, दिल्ली की अपनी जो population growth है, उसकी वजह से है और बाहर के लोग बोझ नहीं हैं, बल्कि वे लोग service provider हैं। दिल्ली के अंदर एक आम धारणा बन गई है कि service users और service providers, दोनों के दोनों आपस में एक-दूसरे को देखते हैं और उनको लगता है कि ये क्यों हैं, उनको लगता है कि ये क्यों हैं? दिल्ली को जितनी जरूरत service users की है, उससे ज्यादा जरूरत शायद service providers की है, जो कि गरीब लोग हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो गरीब इलाकों में रहते हैं और हम लोगों ने मास्टर प्लान के माध्यम से, बार-बार पार्लियामेंट के अंदर Act के माध्यम से उन लोगों को स्थायी राहत देकर, permanent relief देने की कोशिश की है और कैसे की है, यह अभी मैं आपको बताऊंगा।

सर, अहलुवालिया जी ने जैसे कहा और उन्होंने सही बात कही कि 2001 के census के हिसाब से 33.80 लाख census households दिल्ली के अंदर थे। उसमें से census की फिगर्स हैं कि 10,64,000 मकानों में non-residential activities होती हैं। तो जब 16 फरवरी, 2006 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जितने भी residential areas में non-residential acitivities होती हैं, उन सबको सील कर दिया जाए, तो उस ऑर्डर का एक लाइन में मतलब केवल यह था कि दिल्ली के अंदर 10,64,000 non-residential activities होने वाले इलाकों पर सील लग जाती। अहलुवालिया जी ने यह तो बताया कि लगभग 30,000 जगहों पर सील लग गई, लेकिन मैं साथ में यह जोड़ना चाहता हूं कि सीलिंग के बाद, हमारा मास्टर प्लान आने के बाद और हमारे काम करने के और पार्लियामेंट के act के बाद, बल्कि पार्लियामेंट के act से पहले भी हम लोगों ने इस तरीके से इसको लिया कि हम लोगों ने लगभग 27,500 के करीब premises को de-seal किया है और आज 33,000 में से मात्र 5,000 premises sealed पड़े हुए हैं। इस चीज को अगर आप टोटल परसेंटेज में देखें, तो 10,64,000 में से केवल .5 परसेंट premises sealed हैं और जो premises sealed हैं, वे केवल बड़े-बड़े violations हैं, जहां पर सीलिंग हुई है। जितने भी छोटे violators हैं, जितने भी छोटे लोग हैं, उन सब लोगों को हमने अलग-अलग समय पर, कानून का दायरा बढ़ाकर regularise किया, उन सब लोगों को हमने allow किया। ये पांच हजार वे लोग हैं, जिन लोगों ने blatant वॉयलेशन किया हुआ था, बड़े-बड़े शोरूम्स और बड़ी-बड़ी जगहों के ऊपर। जिन लोगों के पास ऐसे ऑप्शंस भी थे कि और जगहों पर, जैसे ग्रेटर कैलाश के शोरूम्स थे, बड़े-बड़े इलाकों में शोरूम्स थे, सिर्फ उन लोगों को सीलिंग के दायरे के अंदर लिया गया। बाकी जितने भी छोटे वॉयलेटर्स थे, हम लोगों ने उन्हें उस दायरे से बाहर निकालकर किया। डेमोलिशन के बारे में अहलुवालिया जी ने पूछा कि जहां पर डेमोलिशन हुआ, उनको कंपनसेशन कैस दिया जाएगा? मैं अहलुवालिया जी को बताना चाहता हूं कि 16 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए, सीलिंग के लिए, लैंड यूज के लिए, उससे पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर्स दिसम्बर में डेमोलिशन के संबंध में आए थे। हम लोगों ने सितम्बर 2006 में ही, सात-आठ महीने के अंदर - जैसा हमारे बड़े काबिल साथी ने कहा कि कानून को बार-बार हम लोगों को जीवित रखकर उसको लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुसार लगातार बदलते रहना चाहिए - हम लोगों ने पूरी दिल्ली के अंदर सितम्बर 2006 में ही बिल्डिंग के रेगुलेशस चेंज कर दिए। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो रेगुलेशंस चेंज किए, उन्हें इस हिसाब से बनाया गया कि जितनी छोटी प्रॉपर्टी है, जितना छोटा प्लॉट साइज है, उसको उतना अधिक रिलीफ दिया गया। 175 स्कवेयर मीटर तक की जगह, यानी 200 गज तक की जगह के जितने भी प्लॉट्स हैं, उन एग्जिस्टिंग प्लॉट्स पर हमने 100 परसेंट ग्राउंड कवरेज

अलाऊ किया। पहले उसका एफएआर 225 होता था, उसके एफएआर को बढ़ाकर हम लोगों ने 350 किया। पहले जो हाइट अलाऊड थी, वह साढ़े बारह मीटर थी, उसको बढ़ाकर हमने 50 फुट कर दिया। इस प्रकार ये सब चीजें हम लोगों ने इसलिए की क्योंकि हम लोग गरीब और आम लोगों को इस दायरे से बाहर निकालना चाहते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा प्लॉट नहीं होगा, जिसको किसी न किसी रूप में एडिशनल एफएआर का फायदा न मिला हो। Across the board हम लोगों ने पूरी-की-पूरी दिल्ली के अंदर एडिशनल एफएआर, एडिशनल ग्राउंड कवरेज से लोगों को फायदा दिया। हर प्लॉट साइज के अंदर हम लोगों ने एडिशनल ड्वेलिंग यूनिट बढ़ायी ताकि लोग अपनी ड्वेलिंग यूनिट वहां पर बढ़ा सके। यही नहीं, हम लोगों ने उसके बाद यह पाया, जैसे-जैसे हम लोगों ने इवॉल्व किया, जैसा हमारे काबिल साथी ने कहा, हम जैसे-जैसे इवॉल्व होते गए, हम लोगों ने यह पाया कि लोगों ने दिल्ली में गरीब इलाकों के अंदर छोटे-छोटे छज्जे बना रखे हैं और उन छज्जों के ऊपर से वे सीढ़ियां निकालते हैं। जितने छोटे मकान होते हैं, उनके छज्जे जमीन के ऊपर रहते हैं - जमीन पर एनक्रोचमेंट नहीं है। उन छोटे छज्जों के ऊपर कई लोगों के टॉयलेट्स हैं, कई लोगों के किचन्स हैं, कई लोगों ने अपनी सीढ़िया निकाली हुई हैं। हम लोगों ने कानून बनाकर, मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करके कहा कि जितने भी एग्जिस्टिंग छज्जे एक मीटर तक के रोड़ के प्रोजेक्शन के ऊपर होंगे, ग्राउंड फ्लोर से दस फुट की हाइट से ऊपर होंगे, उन सब छज्जों को भी रेगुलराइज कर दिया जाए। इस तरह से हम लोगों ने मेसिव डेमोलिशन एक्सरसाइज से दिल्ली को बचाया, यह मैं बताना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हैं, जिन लोगों ने फ्लैट्स खरीदे हैं, हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने मास्टर प्लान के अंदर अमेंडमेंट करके स्पेशल एरियाज के अंदर, अर्बनाइज्ड विलेजिज के अंदर तथा अनऑथोराइज्ड रेगुलराइज्ड कालोनीज के अंदर जो 15 मीटर से ऊपर हाइट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, हमने उनको voluntarily समय दिया है कि जून 2009 तक वे स्वयं उसके ऊपर एक्शन लें। उसका कारण यह है कि 15 मीटर से ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हैं, वहां फायर सेफ्टी लॉज अट्रेक्ट होते हैं और 15 मीटर की हाइट के ऊपर हम लोग कभी भी उन्हें परमानेंट रिलीफ नहीं दे सकते। ऑलरेडी पहले साढ़े 12 मीटर से बढ़ाकर हम लोगों ने उसको 15 मीटर किया है, लेकिन गरीब इलाके में रहने वाले लोगों के ऊपर बुलडोजर न चले, इसके लिए हम लोगों ने साथ में मास्टर प्लान में अमेंड करके यह भी कहा कि इन लोगों को खुद अपने आप, voluntarily धीरे-धीरे करके, जब तक कहीं और जाकर रहने की जरूरत पड़े, कहीं और रहें और उन्हें वे ठीक कर लें। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल अभी यहां पर पूछा कि जो स्पेशल एरिया में रेगुलेशन बनना है, उसका क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जानकर खुशी होगी कि तीन साल का समय इसके लिए हम लोगों ने दिया था। इसके ऊपर extensive consultations की गयी हैं, सब स्टेक होल्डर्स से बात की गयी है और डीडीए ने पिछले ही महीने प्रपोजल बनाकर हमारे पास मंत्रालय में भेजा है। बहुत जल्दी हम लोग इसके ऊपर विचार करके इन इलाकों के लिए अलग से रेगुलेशंस लेकर आएंगे। कम से कम आप एक चीज को जरूर appreciate करेंगे कि इस मास्टर प्लान के अंदर पहली बार हम लोगों ने स्पेशल एरियाज, यानी विलेजिज, चांदनी चौक, पहाड़ गंज, अनऑथोराइज्ड रेगुलराइज्ड कालोनीज के लिए अलग से बिल्डिंग रेगुलेशंस बनाने की बात कही है। इससे पहले के मास्टर प्लान में हमेशा यह होता था कि जैसे न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में, ग्रेटर कैलाश के अंदर, राजोरी गार्डन के अंदर, साउथ एक्सटेंशन के अंदर जो बड़े-बड़े पॉश एरियाज हैं...। जो बिल्डिंग रेग्यूलेशंस वहां पर रहेंगी, वही बिल्डिंग रेग्यूलेशंस इन गरीब इलाकों के अंदर जहां-जहां पर छोटी-छोटी तीन-फुट की गलियां हैं, वहां पर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वे बिल्डिंग

रेग्यूलेशन फॉलों करें, जो न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में है। तो हम लोगों ने पहली बार इस मास्टर प्लान के माध्यम से अटेम्प्ट किया है कि इन स्पेशल एरियाज के अंदर बिल्डिंग रेग्यूलेशन अलग से होने चाहिए। इस वजह से इस चीज को ध्यान में रखकर के इन स्पेशल एरियाज के लिए, विलेजिज के लिए तथा हमारे चांदनी चौक, पहाड़ गंज जो बहुत पुराने-पुराने इलाके हैं, सब इलाकों के लिए हम लोगों ने स्पेशल रेग्यूलेशन बनाने की बात कही है, जैसा मैंने कहा कि डी.डी.ए. से हमारे मंत्रालय में आ गया है और हम बहुत ही जल्द इसके ऊपर निर्णय भी लेने वाले हैं। सब-डिविजन ऑफ प्लॉट की आपने बात कही, इस मास्टर प्लान के माध्यम से हमारी यह कोशिश रही है और आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि आपने मास्टर प्लान को खुद गहराई से देखा है, हमारी यह कोशिश है कि दिल्ली के अंदर जो एग्जिस्टिंग एरियाज हैं, जिसको ब्राउन एरिया कहते हैं, उन एरियाज को हम लोग रि-डवलपमेंट के अंदर लेकर के आएं। रि-डवलपमेंट में लाने के लिए हम लोग सब-डिविजन को एन्करेज नहीं करना चाहते, बल्कि हम लोगों के प्लॉट्स को इकट्ठे मिला करके एक साथ में होने की हम इच्छा रखते हैं। इसलिए हमने मास्टर प्लान में इसका प्रोविजन रखा है कि इस चीज के रेग्यूलेशन बनाएंगे जो हम आगे करने वाले हैं कि तीन हजार स्क्वायर मीटर तक की जगह इकट्ठी रोक कर लें तो हम लोगों ने upto 1.5 टाइम की एफ.ए.आर. की एक restriction रखी है। 1.5 टाइम ऑफ दी एफ.ए.आर तक हम उनको जाने देंगे, लेकिन शर्त यह है कि वे जमीन के ऊपर केवल 30 परसेंट कवरेज करेंगे और सारा का सारा बाकी एरिया खाली रखेंगे। तो हमारा दिल्ली का आइडिया, हमारा फ्यूचर विजन यह है कि जो आप लोग अभी गन्दी बस्तियां जिस तरह से देखते हैं, गरीब बस्तियां जिस तरह से देखते हैं, अनऑथोराइज्ड रेग्यूलराइज कॉलोनीज जिस तरह से देखते हैं, वॉल्ड सिटी का इलाका जिस तरह से देखते हैं, वोल्यूंटरिली हम लोग चाहते हैं कि लोग अपने आप आगे आएं, तीन हजार स्कवायर मीटर की जगह इकट्ठी करें और जब उनको वन एंड हाफ टाइम एफ.ए.आर. मिल जाएगा तो एफ.ए.आर. एज इंसेंटिव यूज करें और शहर के ऊपर वर्टिकल जाएं तथा शहर की जमीनी फैलावट कम हो। उससे शहर को एडिशनल एफ.एफ.आर. मिलेगा, एडिशनल हाउस मिलेगा, जमीन साफ होगी और शहर की 70 परसेंट जमीन खुली होगी तथा जमीन के ऊपर केवल 30 परसेंट कंस्ट्रक्शन होगी। इस विजन के सहारे हमने रि-डवलपेंट प्लान को किया है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है, उस बर्डन को हम इससे किस तरह से मीट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको जान करके खुशी होगी कि इसी चीज को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने मास्टर प्लान के अंदर जब दुकानों की रेग्यूलराइजेशन करी, तथा जब हम लोगों ने इसका दायरा बढ़ाया तो हमने कंवर्जन चार्जेज और पार्किंग चार्जेज फिक्स किए। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले एक-दो साल के अंदर-अंदर ही एम.सी.डी को 528 करोड़ रुपया का रेवेन्यू मिला है, जिसमें से 184 करोड़ रुपया केवल पार्किंग से मिला है। एम.सी.डी. इस 184 करोड़ रुपए से मल्टी लेविल पार्किंग हर मार्केट के अंदर बना रही है। हम लोगों ने यह कंडीशन रखी है कि जो कंवर्जन चार्जेज और पार्किंग चार्जेज एम.सी.डी. को मिलेंगे उसका इस्तेमाल वहीं उस मार्केट के लिए किया जाएगा। अगर देखें तो इसमें अकेला कंवर्जन चार्जेज 342 करोड़ रुपया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इसमें ज्यादातर एन्युअल कंवर्जन चार्जेज है, यानी हम साल यह पैसा एम.सी.डी. को मिलता रहेगा। अगर टोटल रेवेन्यू को आप देखें तो एम.सी.डी को एक बहुत बड़ा हिस्सा 342 करोड़ का मिला है, तथा जैसे-जैसे लोग आगे चलकर और रजिस्टर कराएंगे तथा अपने कॉमर्शियल कंवर्जन कराएंगे तो हर साल एम.सी.डी. को एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कंवर्जन चार्जेज से आएगा। यह पैसा उन इलाकों के अंदर, उन दुकानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए लगेगा, जहां पर हम इनको एलाउ कर रहे हैं। तो यह हमने भिन्न-भिन्न

सिचुएशन क्रिएट की है, जहां पर लोगों को रिलीफ मिला है, जहां पर हम लोगों से कुछ पैसा लेकर के हम एम.सी.डी. को रेवेन्यू के तौर पर दे रहे हैं और उस पैसे का इस्तेमाल वापिस एम.सी.डी. उन जगहों के डवलपमेंट के लिए करेगी, जिससे पूरा शहर इम्प्रूव करेगा।

महोदय, मैं एक और बात अपनी बात के साथ जोड़ना चाहूंगा कि वाटर सप्लाई के बारे में आपने कहा कि वह किस तरीके से होगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो मास्टर प्लान बनाया है उसके अंदर स्पेशल एलोकेशन इस तरीके से रखा है कि यूटीलिटी के लिए दस हजार हेक्टेयर जगह मास्टर प्लान में माफ किया है। जहां यूटीलिटी जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वाटर के लिए, पॉवर के लिए अलग-अलग जगहों के ऊपर दिल्ली में दस हजार हेक्टेयर का हम लोगों ने रखा है, जहां पर रख सकते हैं। जहां तक वाटर अवेलेबिलिटी की बात है, माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सी.एस.ई. - सेंटर फोर साइंड एंड एंवॉयरमेंट ने कहा कि ग्राउंड वाटर और जो पानी जल बोर्ड सप्लाई करता है..... वह दोनों के दोनों मिलाकर के 340 लीटर्स पर केपीटा पर डे दिल्ली के सिस्टम के आता है, इसका मतलब है कि पानी की उपलब्धता की दिल्ली में कमी नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट ऑफ ऐवेलेबल रिर्सोसेज की प्रॉब्लम है। हम इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि इसके बारे में जल बोर्ड खुद कहता है कि 40 परसेंट पानी हमारा सीपेज के लॉस में चला जाता है। 340 लीटर्स पर केपीटा पर डे के हिसाब से हमारे यहां दिल्ली में पानी उपलब्ध है। हांगकांग के अंदर 172 लीटर्स पर केपीटा पर डे, सिंगापुर में 162 लीटर्स पर केपीटा पर डे में वे लोग 24 ऑवर्स पानी सप्लाई करते हैं। हम लोगों के यहां पर 340 लीटर्स पर केपीटा पर डे में हम इसलिए तीन घंटे, दो घंटे भी पानी सप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर सीपेज है और जो रिर्सोसेज हमारे यहां पर ऐवेलेबल हैं, उनको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि जब हमारा शहर एक हॉरिजेंटल फैलावट की जगह जब वर्टिकल जाएगा, तो इन सब की सीपेज और इन सब की लॉसेस जो ट्रांशमिशन के अंदर होती हैं, वे अपने आप कम होती चली जाएंगी और हमारा यह शहर इन सब चीजों से अपने आप निपटेगा। हमारे पास ऐवेलेबिलिटी की कमी नहीं है, अब इन ऐवेलेबल रिर्सोसेज को हम ढंग से मैनेज कर पाएं, तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी ने बहुत अच्छे सुझाव यहां पर दिए हैं। जय प्रकाश जी, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि हमारे टाइप-5, टाइप-6 के क्वाटर्स के लिए हम लोगों ने आलरेडी डेवलेपमेंट प्लान्स नेताजी नगर में, सुनहरी बाग में और दूसरी और जगहों पर दिल्ली में शुरू कर दिए हैं। हमारी यह कोशिश है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि शहर की फैलावट वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजेंटल नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, हम लोग जहां पर भी जितनी ऊंचाई पर जा सकते हैं, हम लोग उसमें जाएंगे। ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज के बारे में जैसा कि अभी आपने कहा है, उसके बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज में एफएआर 166 था, अब हमने उनके एफएआर को बढ़ाकर 230 कर दिया है। अब ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज भी ज्यादा एफएआर यूज कर सकती हैं और ऊंचाई पर वे लोग जा सकते हैं। इसके अलावा अंत में, एक बात और कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर जब तक सर्विस प्रोवाइडर की रेजिडेंशियल एकोमडेशन पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही मैं आपकी उस बात का भी जवाब देना चाहता हूं जिसमें आपने कहा है कि इस एक साल को हम आगे क्यों ले रहे हैं और आपने जो क्लॉज 3 की बात कही है, उसके बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लॉज 3 के बारे में आपने कहा कि हम लोग फिर बार-बार एक साल आगे क्यों लेकर के जा रहे हैं? जिस अनआथराइज्ड डेवलेपमेंट के लिए हम एक साल

लेकर के जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हॉकर्स का था। हॉकर्स के लिए हम लोगों ने मास्टर प्लान में यह कहा है कि नेशनल वेंडर्स पालिसी के हिसाब से 2 से 3 प्रतिशत आबादी का हॉकर्स के लिए squatting places identify करना चाहिए। आप जानते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। एमसीडी को पूरी दिल्ली में जितना भी उसका इलाका पड़ता है squatting places identify अगर आप दो से तीन परसेंट माने, तो एक करोड़ 63 लाख लोगों की पापुलेशन अगर यहां पर है, तो उस हिसाब से लगभग साढ़े तीन लाख squatting places दिल्ली में identify करने होंगे। जब तक ये squatting places एमसीडी identify नहीं करती, तब तक हम हॉकर्स को वहां पर नहीं बैठाएंगे और इसलिए उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब हमने अरबनाइज विलेजर्स को प्रोटेक्शन दिया है, हमने रूरल विलेजर्स को प्रोटेक्शन दिया, उसका कारण यह है कि अरबनाइज विलेजर्स के अंदर सर्वे प्रोपर नहीं हुआ था, जब पहले हम लोग मास्टर प्लान लेकर आए थे। एमसीडी ने हमसे लिखित में रिक्वेस्ट की कि उनका सर्वे करने के लिए दोबारा से पीरिएड बढ़ाया जाए और जिन एरियाज में सर्वे नहीं हुआ है, उनमें एमसीडी को दोबारा से सर्वे करने दिया जाए। जिसके संबंध में पिछले साल अगस्त में हम मास्टर प्लान में अमेंडमेंट लेकर आए कि और समय एमसीडी को सर्वे करने के लिए दिया जाता है जिन इलाकों में, जिन विलेजिज में सर्वे नहीं हुआ है। इन एरियाज में वह दोबारा से सर्वे करें ताकि इन एरियाज में भी हम लोगों को कामर्शियल यूज के लिए रिलीफ दे सकें। जैसे ही सर्वे कम्पलीट होकर के उसकी रिपोर्ट आएगी, नोटिफिकेशन होगा, तभी हम इन लोगों को रिलीफ, पूरा का पूरा मास्टर प्लान का पास ऑन कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने अरबन और रूरल विलेजिज को लिया है। हमारे को एमसीडी ने कहा, पहले हम लोगों ने मास्टर प्लान में रखा था जैसे आपने कहा कि मास्टर प्लान इवाल्व करते रहना चाहिए। पहले हम लोगों ने मास्टर प्लान में यह कानून रखा था कि एक हैक्टेयर में अगर 300 दुकानें होंगी, तो वह पूरा का पूरा एक हैक्टेयर कामर्शियल हो सकता था। हमारे को एमसीडी से सुझाव आया कि एक हैक्टेयर में 300 दुकानें बहुत ज्यादा हैं, इसको एक हैक्टेयर मे डेढ़ सौ दुकानों के ऊपर पूरा का पूरा अरबनाइज विलेजिज और स्पेशल एरियाज के अंदर कामर्शियल होना चाहिए। हमने पिछले साल अगस्त में मास्टर प्लान अमेंड किया और एक हैक्टेयर के अंदर हम लोगों ने व्यवस्था की कि एक हैक्टेयर में डेढ़ सौ दुकानें अगर किसी भी विलेज में हैं, तो पूरा का पूरा विलेज कामर्शियल हो सकता है। यह सारा का सारा काम एक-एक करके अपने आप evolve होता जा रहा है। हमने पिछले साल अगस्त में MCD से कहा था कि आप हमें सर्वे करके यह बताएं कि कौन से ऐसे विलेजेज हैं, जिनमें एक हैक्टेयर के अंदर 150 दुकानें हैं। हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि दो महीने में पूरा सर्वे करके उसकी नोटिफिकेशन हो जाए। यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, आप इस चीज को नहीं समझेंगे क्योंकि इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। इसका MCD और अच्छे तथा बेहतर तरीके से सर्वे कर सकेगा। हमने मास्टर प्लान में लोगों को जो रिलीफ दी है, वह सही समय पर लोगों तक पहुंच सके, इस वजह से हमने एक साल और मांगा है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के रेग्युलराइजेशन होने की प्रक्रिया में अभी एक वर्ष और लगेगा। जब तक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेग्युलराइज नहीं होंगी, तब तक मास्टर प्लान का मिक्सड् प्लान यूज, उनके ऊपर एप्लाई नहीं होगा। जब तक कि सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेग्युलराइज नहीं होंगी, तब तक वहां की सड़कें नोटिफाई नहीं हो सकती हैं, इसलिए इसके अंदर एक साल का समय दिया गया है। हमारे जितने भी सोर्सेज हैं, जो एग्रिकल्चर प्रोड्यूज के लिए हैं, स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स हैं, जो रूरल एरियाज के अंदर हैं, जब तक हमारे जोनल प्लान बन नहीं जाते, तब तक हम उन लोगों को, उन जोन्स के अंदर, उन जगहों पर एलाऊ नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए एक साल दिया है। इसके अंदर अनऑथराइज्ड फॉर्म

ऑफ डेवलेपमेंट के लिए एक साल का समय मांगा गया है, वह उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए मांगा गया है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी काफी कम लिया है। मैं अंत में, फिर हाउसिंग फॉर पुअर के प्रोजेक्ट के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने झुग्गी-झोपड़ियों को रि-सेटल करने के लिए 1 लाख, 13 हजार फ्लैट्स बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 52 झुग्गियों को DDA उन जगहों के ऊपर, वहीं के वहीं रिहेबलीटेट करेगा। उसके अलावा 61 हजार 500 के करीब जो राजीव रत्न योजना के अंतर्गत फ्लैट्स हैं, उनको जवाहर लाल अर्बन एनुअल मिशन के बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर के तहत दिल्ली सरकार को 1445 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आलरेडी मंजूर किए जा चुके हैं। ये 1 लाख 13 हजार मकान दिल्ली में गरीब लोगों को मिलेंगे, तभी दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को रहने की और बेहतर व्यवस्था होगी।

मैं अंत में, एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम लोगों ने पहली बार मास्टर प्लान में यह व्यवस्था की है कि जब भी यहां दिल्ली के अंदर मकान बनाए जाएंगे, तो उसका FAR, 15 या 35 परसेंट ऑफ दि नम्बर ऑफ वैल्यु यूनिट्स, कम से कम इकनोमीकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व होने चाहिए। उनमें इकनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए करीब 250 स्क्वेयर फीट के लगभग रिजर्व रहेगा। हमें उम्मीद है कि जब हम 35 परसेंट रिजर्व करके इकनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए करेंगे, तो दिल्ली में गरीब लोगों के लिए रहने के लिए और जगह उपलब्ध होगी तथा दिल्ली में फिर से झुग्गी-झोंपड़ी व अनऑथराइज्ड कॉलोनीज नहीं बन पाएंगी। हमने पहली बार मास्टर प्लान के माध्यम से काम किया है। इसमें इतनी बड़ी तादाद में इकनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए रिजर्व करके रखा गया है और इसको हम इन लोगों को दे सकें।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों का फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसका समर्थन किया।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, जो बात मैंने आपके सामने रखी कि जो प्रोपर्टीज डि-सील होनी है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं यह चाहता हूं कि आप उसके लिए अखबार में एडर्वटाइजेंट दें और यह कह दें कि कल से वह डीप सील हो गई। अगर आप किसी एजेंसी पर छोड़ देंगे, तो लोग मर जाएंगे और फिर वहां पर दलाल ...**(व्यवधान)**... एक मिनट, एक सेकेंड ...**(व्यवधान)**... मेरे दो, तीन प्वाइंट्स थे, जिनका आपने जवाब नहीं दिया। दूसरा यह है कि जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एग्जिस्टिंग, 1962 से पहले की हैं, जो अब सील हो रही हैं, उनको सील क्यों किया जा रहा है, उनको राहत कैसे मिलेगी? दूसरी बात यह है कि जो नेगेटिव लिस्ट वाले ट्रेडर्स हैं, आपने उनको 2010 तक का टाइम दिया है, उनको क्या सहूलियतें दे रहे हैं, यह भी बता दीजिए?

श्री अजय माकन: उपसभापति जी, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जो हमने बिल दिया है, वे उसको थोड़ा पढ़ लें। उसमें आपको एक ऑन्सर अच्छा सा मिल जाएगा जैसा कि इन्होंने डायरेक्शन्स की बात कही है कि ये कैसे होंगे, मैं सदस्य से कहूंगा कि बिल के क्लॉज-5 को ध्यान से पढ़े -

"The Central Government, may, from time to time, issue such directions to the local authorities as it may deem fit, for giving effect to the provisions of this Act and it shall be the duty of the local authorities, to comply with such directions."

यह बाइंडिंग डायरेक्शन देने के बाद, हम लोगों ने, मिनिस्ट्री ने इसके लिए रखा है और लोकल बॉडीज को, हमारे एक्ट पास होने के बाद, हम फौरन देंगे। इसके लिए उनको बाइंड किया है, लोकल अथॉरिटीज को इन डॉयरेक्शन्स को फॉलो करना पड़ेगा। 1962 से पहले की जो कमर्शियल यूजेज हैं, वे चलती रहेंगे क्योंकि हमने मास्टर प्लान के अंदर प्रावधान किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कहा है कि मास्टर प्लान में जो रिलीफ

दिया गया है, वह रिलीफ पास ऑन होगा। अगर कहीं पर एक आध ऐसे आइसुलेटेड केसेज हैं, तो मैं आप से अनुरोध करूंगा कि हम लोग मिलकर MCD के नोटिस में लाएंगे।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: आप कोई कमेटी बना देना, नहीं तो रवि शंकर जी फिर मुझ से नाराज हो जाएंगे। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चाहती है कि दिल्ली सरकार को नुकसान हो। यह सीधी बात है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आप भी MCD में कभी मेयर हो सकते हैं। यह तो सिलसिला चलता रहता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: वे करके नहीं दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st day of December, 2009, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI AJAY MAKEN: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MESSAGES FROM LOK SABHA

(I) The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2009

(II) The Appropriation Bill, 2009

(III) The Finance Bill, 2009

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2009, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 24th February, 2009.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."